

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना दिनांक

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय- राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण ।

प्रसंग- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.17 की क्रमशः कंडिका-4 एवं 5 में उल्लिखित है कि “ पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।”

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह ₹0 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह ₹0 1,000 (एक हजार) भुगतेय होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि-20.10.2017 से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

....2

ज्ञापांक: वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017

पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक: वि0(27)पे0को0-(पुन0)22/2017 764

पटना, दिनांक: 30-10-17

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव ।

(M.B.)

30-10-17